

2022/479

06/6

2021 पञ्जाबली प्रशासन गांवों के संग कमिश्नर 2021 के
 जो लोअर सिविल मुठ बाबरी या निहाल
 हेतु लाई जाके या वेअर हेतु हमने पञ्जाबली
 का अखलीकरण किया (पञ्जाबिया ग्राम वस्ती
 जिनमे आरजी संख्या 1374/4808, 1378/4809
 की पत्न्यादी काणा चाहते है) संलग्न गम
 जमावरी अनुपात उक्त आरजीया प्राचीया
 के पति के नाम या दूरे रेकार्ड है तब
 प्राचीया के पति लोअरलगा की मुठ है
 मुठ है अतः प्राचीया का प्राचीया पत्र
 अन्वैत धारा 128 Cr Act स्वीकार किया
 जाका ग्राम वस्ती जिनमे आरजी संख्या
 1376/4808, 1378/4809 कीता 2 कुल
 रकम 0.1600 है. मुठे की बिना किसी के
 फल्ले से दरवाजा की कर लेटलगेर गबश अनुपात
 पत्न्याद कर जाके के अरेश रिजते है
 शुल्क 500 रूप अरेश घाने लोअर प्राचीया
 वहत कोगी। पालगान सहलीलगा वस्ती
 को लिख जावे कि परकारक को लिखित
 मुचका डेवा पत्न्यादी की जावे एवं
 पालगान रिपोर्ट गायबगय से गलत करे
 पञ्जाबली कौलल शुभा दीका नम्बर से कम

(श्याम सुंदर बिस्नोई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

